न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1162/2024

अनवान : –

1. सूर्य प्रकाश पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राहमण साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र श्रवण कुमार जाति ब्राहमण साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. प्रेमसुख पुत्र हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
2. कोमल पुत्री प्रेमसुख जाति ब्राहमण साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. श्रवण कुमार पुत्र हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री श्रवण कुमार जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
6. निर्मला पुत्री हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
7. शारदा पुत्री हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
8. गोदावरी पत्नी हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 598/589 की कुल 29.833 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से 18.709 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 व 5 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा हरपत राम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 3 व 5 ता 7 व गोदावरी पत्नी हरपतराम के नाम दर्ज हुई है। उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2, 4 वादीगण की बहिने है व प्रतिवादी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पुत्री एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 वादीगण की बुआ व प्रतिवादी संख्या 8 वादीगण की दादी है प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 ता 8 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:47 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराजन नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश कि जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 598/589 की कुल 29.833 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से 18.709 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 व 5 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा हरप[illegible]राम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 3 व 5 ता 7 व गोदावरी पत्नी हरपतराम के नाम दर्ज हुई है। उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2, 4 वादीगण की बहिने है व प्रतिवादी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पुत्री एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 वादीगण की बुआ व प्रतिवादी संख्या 8 वादीगण की दादी है प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 ता 8 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार हरपतराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 598/589 के ख0न0 995 की 29.833 हैक्ट भूमि में से 18.709 हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5 ता 8 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1162/2024

अनवान : –

1. सूर्य प्रकाश पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राहमण साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र श्रवण कुमार जाति ब्राहमण साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. प्रेमसुख पुत्र हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
2. कोमल पुत्री प्रेमसुख जाति ब्राहमण साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. श्रवण कुमार पुत्र हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री श्रवण कुमार जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
6. निर्मला पुत्री हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
7. शारदा पुत्री हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
8. गोदावरी पत्नी हरपत राम जाति ब्राहमण साकिन मन्दुपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1162 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/01/25

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविकान्त स्वामी तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 598/589 के ख0न0 995 की 29.833 हैक्ट भूमि में से 18.709 हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5 ता 8 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:47 IST
Reason: SelfAttested